फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री अर्जुन सिंह पिता गुरमीत सिंह नाथ निवासी मुम्बई जरिये पावर ऑफ अटोर्नी श्री जीयालाल पिता राधेश्याम यादव निवासी मुम्बई बनाम सरकार

प्र.सं. 83/2020 (रे.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2020	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन संख्या MH43 BG 3449 टैंकर को मय उसमें भरे हुए इंजन ऑयल के, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा टैंकर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन टैंकर के अन्दर जो इंजन ऑयल भरा हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरा इंजन ऑयल प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन MH43 BG 3449 टैंकर श्री अर्जुन सिंह नाथ के नाम है तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई से जारी टैक्स इनवोईस एवं डिलेवरी चालान भी प्रार्थी की फर्म के नाम ही जारी है। थानाधिकारी थाना, गंगरार ने भी जब्तशुदा वाहन MH43 BG 3449 टैंकर एवं उसमें भरे हुए इंजन ऑयल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन MH43 BG 3449 टैंकर एवं उसमें भरे हुए इंजन ऑयल का स्वामित्व प्रार्थी का है एवं जब्तशुदा वाहन MH43 BG 3449 टैंकर एवं उसमें भरे हुए इंजन ऑयल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन MH43 BG 3449 टैंकर एवं उसमें भरे हुए इंजन ऑयल को 50,00,000/- अक्षरे पचास लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। (के.के. शर्मा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official